न्यायालय सहायक कलेक्टर एवं उप खंड अधिकारी सज्जनगढ जिला बांसवाडा राज.

राजस्व वाद संख्या 10/2014

1– श्रीमती भगली बेवा लक्षमण जाती चमार निवासी आमलीपाडा तहसील सज्जनगढ जिला बांसवाडा राज.
2– श्री सुखलाल पुत्र लक्षमण जाती चमार निवासी आमलीपाडा तहसील सज्जनगढ जिला बांसवाडा राज.
3– श्री वालचंद पुत्र लक्षमण जाती चमार निवासी आमलीपाडा तहसील सज्जनगढ जिला बांसवाडा
राज.
4– श्री रूपा पुत्र लक्षमण जाती चमार निवासी आमलीपाडा तहसील सज्जनगढ जिला बांसवाडा
राज.
5– श्री महेन्द्र पुत्र रमेश जाती चमार निवासी आमलीपाडा तहसील सज्जनगढ जिला बांसवाडा
राज.
6– श्री गजेन्द्र पुत्र रमेश जाती चमार निवासी आमलीपाडा तहसील सज्जनगढ जिला बांसवाडा
राज.
7– श्री कमलेश पुत्र रमेश जाती चमार निवासी आमलीपाडा तहसील सज्जनगढ जिला बांसवाडा
राज.

.....वादीगण

विरूद्द

1– श्री हनुमंत प्रतापसिंह पुत्र चन्द्रवीरसिंह राजमहल बांसवाडा राज.
2– श्री तहसीलदार तहसील कार्यालय सज्जनगढ जिला बांसवाडा राज.

..... प्रतिवादीगण

वाद घारा 88–183 (ख) राजस्थान काश्तकारी अधिनियम

दिनांक 09-06-2017

निर्णय

1. वादीगण की ओर से वादग्रस्त भूमि वाके टांडामंगला तहसील सज्जनगढ जिला बांसवाडा राज. में गत सेटलमेंट की सर्वे नंबर क्रमशः 331, 332, 333, 335, 336, 337, 491 , 492 कुल आठ खेत रकबा कुल 18. 3 अठारह बिघा तीन विस्वा भूमि के बाबत विरूद्द प्रतिवादीगण इस आशय का पेश हुवा कि उक्त भूमि वादीगण की पैत्रक होकर सेटलमेंट संवत 1940–41 में उनके दादाजी पूर्वज वक्ता पुत्र तेजा चमार के नाम से दर्ज थी । वादीगण स्व. वक्ता के वारीसान व उत्राधिकारी होकर उक्त भूमि पर काबीज होकर काश्त करते है । तथा मोके पर उनका कब्जा है । वाद में वंशावली के अनुसार वादीगण के पूर्वज सेटलमेंट खातेदार वक्ता पुत्र तेजा होना व उसके वारीसान में उसका पुत्र स्व .खीमला व स्व. खीमला का पुत्र लक्षमण बताये । स्व. लक्षमण के वारीसान में उसकी पत्नी वादी श्रीमती भगली व पुत्र वारीसान में वादीगण सुखलाल, वालचंद, रूपा व स्व. रमेश के वारीसान वादीगण महेन्द्र गजेन्द्र कमलेश अंकीत कर वाद में जाहीर किया कि उक्त भूमि कें संबघ में उनके पूर्वज

मूल खातेदार वक्ता को फोत बताकर वादग्रस्त खाता भूमि को बिना किसी आधार के प्रतिवादी सं. 1 हनुमंतसिंह के नाम से दर्ज कर दिया गया । प्रतिवादी सं. 1 का वादग्रस्त भूमि में किसी प्रकार से हक अधिकार कब्जा नही होकर उनके नाम की प्रविष्टीयां तत्कालिन समय सन् 1948 में राजस्व रेकर्ड के संघारण में गलत तरीके से दर्ज कर दी । जबकि मोके पर भूमि पैत्रक होने से वादीगण काबीज होकर उनका कब्जा है । एवं उनके मकानात भी वादग्रस्त भूमि में बने हुये है । वाद के साथ मकानात के फोटो भी पेश किये । वादीगण को उक्त भूमि प्रतिवादी हनुमंत प्रतापसिंह के नाम से दर्ज होने की जानकारी होने पर उन्होने रेकर्ड से नकले लेकर प्रतिवादी सं. 2 को राजस्व रेकर्ड के इन्द्राज दुरस्ती के लिये आवेदन किया था लेकिन वादीगण की सुनवाई नही होने से वादीगण द्वारा उक्त वाद पेश कर प्रतिवादी सं. 1 के नाम की प्रविष्टी को निरस्त कर वादग्रस्त भूमि का वादीगण को खातेदार घोषित कर इन्द्राज दुरस्त करने व प्रतिवादी को जरीये स्थाई निषेघाज्ञा पाबंद करने की मांग की । प्रतिवादीगण को सम्मन जारी किये गये । प्रतिवादी सं. 2 के द्वारा उपस्थित होकर पत्रावली को राजस्व शीवीर में सुनवाई रखने के दोरान दिनांक 22.6.2016 को जाहीर किया कि प्रतिवादी सं. 1 हनुमंत प्रतापसिंह की मृत्यु हो चुकी है । एवं उनके वारीसान लंदन अथवा मुंबई में रहते होंगे जाहीर किया । इस पर प्रतिवादी सं. 1 के संबघ में अंर्तराष्ट्रीय व राष्ट्रीय स्तर पर सम्मन अखबार में प्रकाशित करने की आज्ञा के अनुसरण में सम्मन का प्रकाशन दिनांक 30.7.2016 के अंर्तराष्ट्रीय व राष्ट्रीय स्तर के दैनिक समाचार पत्र टाईम्स आफ इंडीया में करवाया गया जिसकी अखबार की प्रति वादीगण द्वारा न्यायालय में पेश की गई जो रेकर्ड पर ली गई । उक्त सम्मन की तामील में प्रतिवादी सं. 1 की ओर से कोई उपस्थित नही होने से प्रतिवादी सं. 1 के विरूद्द एक पक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गई ।

2. वाद के समर्थन में वादीगण की ओर से एक पक्षीय साक्ष्य वादीगण वालचंद, श्रीमती भगली रूपा, सुखलाल, गजेन्द्र, कमलेश, महेन्द्र के स्वयं के तथा स्वतंत्र साक्षी में मकन पुत्र घीरा भील आमलीपाडा के शपथ पत्र पेश कर वाद के तथ्यो को दोहराया। दस्तावेजी साक्ष्य में वादग्रस्त भूमि की जमाबंदी सेटलमेंट सन् 1940 –41 की खतोनी , खसरा नकल क्रमशः संवत 2001 से 2008 , संवत 2009 से 2012 , संवत 2013 से 2016, संवत 2017 से 2025, संवत 2025 से 2027 की , जमाबंदी संवत 2026 से 2029 चालु जमाबंदी संवत 2064 से 2067 की पेश की । राजस्व अभिलेख के अलावा खीमला लक्षमण व रमेश के मृत्यु प्रमाण पत्र एवं सरपंच ग्राम पंचायत के वादीगण की वंशावली व निवास प्रमाण पत्र पेश किये । उक्त प्रकरण की सुनवाई के दोरान वादीगण ने प्रार्थना पत्र पेश कर जाहीर किया कि गत सेटलमेंट की वादग्रस्त आराजीयात सर्वे नंबर क्रमशः 331, 332, 333, 335, 336, 337, 491 , 492 के वर्तमान भू प्रबंघ करवाये जाने से उनके नये नंबर क्रमश सर्वे नंबर 1321, 1322, 1323, 1370, 1371, 1372,1373, 1374, 1375, 1377, 1378, 1380, 1381, 1382 कुल 14 खेत रकबा 2.56 हेक्टर हो गये है । तदनुसार उक्त नये नंबर रेकर्ड पर लिये जाकर प्रकरण में निर्णय प्रदान करना फरमावे । इस संबघ में पटवारी हल्का से मोका रिपोर्ट ली जाने पर उसके द्वारा रिपोर्ट कर जाहीर किया कि उक्त नये नंबरो की भूमि मोके पर वादीगण द्वारा दर्शाई गई भूमि गत सेटलमेंट वाली होना जाहीर हुवा है एवं उक्त गत सेटलमेंट के रकबा में से कुछ भूमि रास्ते के उपयोग में आने से भूमि की कमी हुई है । मोके पर वादीगण काबीज है । उनके मकानात बने हुये है ।

3. प्रकरण में गुणावगुण निर्णय हेतु पत्रावली का आघौपांत अघ्ययन कर वादीगण की ओर से पेश राजस्व अभिलेख का अवलोकन किया गया । राजस्व अभिलेख से यह प्रमाणित है कि वादग्रस्त भूमि सेटलमेंट सन् 1940 –41 अर्थात संवत् 2001 की अवधि में उक्त भूमि वादीगण के पूर्वज वख्ता पुत्र तेजा के नाम से दर्ज है । तथा खसरा नकल क्रमशः संवत 2001 से 2008 , संवत 2009 से 2012 , संवत 2013 से 2016, संवत 2017 से 2025, संवत 2025 से 2027 की , जमाबंदी संवत 2026 से 2029 में वादीगण के पूर्वजो की काश्त भी दर्ज है । अभिलेख से भूमि वादीगण की पैत्रक होना साबित है । प्रतिवादी सं. 1 के नाम के इन्द्राज के बाबत राजस्व अभिलेख का परीक्षण करने पर यह पाया जाता है कि प्रतिवादी सं. 1 हनुमंत प्रतापसिंह के नाम पर संवत 2026 की जमाबंदी में बिना मुटेशन के दर्ज कर वादग्रस्त भूमि का अभिलेख संघारित किया गया है । जबकि यह भूमि नकल खसरा संवत 2001अर्थात सन् 1940–45 की अवधि में सेटलमेंट जमाबंदी के अनुसार वक्ता चमार की दर्ज रही है । उक्त

संवत 2005 की खसरा नकल मे हस्ब हुक्म सं. 79 दिनांक 3.1.1949 से खाता हलावा में रैयत पटटेदारी में लिया गया । उक्त खाता उक्त रैयत पटटेदारी में खातेदार के मरने मात्र आधार पर उसके वारीसान काबीज व्यक्ति की तसदीक किये बिना ही, बिना सुनवाई के प्रतिवादी सं. 1 हनुमंत प्रतापसिंह के नाम से गलत रूप से दर्ज कर दिया जाना पाया जाता है । वक्ता के मर जाने पर उक्त खाता तत्कालिन समय में उसके वारसान के नाम से उत्राधिकार दर्ज होना चाहीये था । लेकिन तत्कालिन समय में ऐसा नही कर प्रतिवादी सं. 1 हनुमंत प्रतापसिंह के नाम से गलत रूप से दर्ज कर दिया ।मोके पर वादग्रस्त भूमि पर मृतक वक्ता के वारीसान की निरंतर कब्जा काश्त खसरा संवत 2009 से 2012 , संवत 2013 से 2016, संवत 2017 से 2025, संवत 2025 से 2027 में अंकीत कर खातेदार के वारीसान को शीकमी बताकर काबीज व काश्त अंकीत कर रखी है । अर्थात उक्त भूमि पर मोके पर भौतिक व वास्तविक कब्जा काश्त वादीगण के पूर्वजो की व उनके बाद वादीगण की लगातार रही है । रिपोर्ट पटवारी के अनुसार भी मोके पर वादग्रस्त भूमि पर वर्तमान में भी कब्जा काश्त व उनके मकानात बने होना पाये है । भूमि वादीगण की पैत्रक होने व वाद के तथ्यो की पुष्टी करते है ।

4. अभिलेखीय व मौखीक साक्ष्य व कब्जे के बाबत भौतिक रिपोर्ट के आधार पर वादीगण के द्वारा पैत्रक भूमि के संबध में पेश वाद को प्रमाणित पाया जाकर उक्त भूमि के संबध में प्रतिवादी सं. 1 हनुमंत प्रतापसिंह के नाम के इन्द्राज को निरस्त करने व वादीगण को खातेदार घोषित किये जाने का औचित्य है ।

आज्ञा

वाद वादीगण डिक्री किया जाकर आदेश दिया जाता है कि ग्राम टांडामंगला तहसील सज्जनगढ जिला बांसवाडा राज. में गत सेटलमेंट की सर्वे नंबर क्रमशः 331, 332, 333, 335, 336, 337, 491 , 492 कुल आठ खेत रकबा कुल 18. 3 अठारह बिघा तीन विस्वा भूमि में से रोड में अवाप्त भूमि को कमी करते हुये उक्त शेष भूमि के नये नंबर क्रमश सर्वे नंबर 1321, 1322, 1323, 1370, 1371, 1372,1373, 1374, 1375, 1377, 1378, 1380, 1381, 1382 कुल 14 खेत रकबा 2.56 हेक्टर के लिये वादीगण को खातेदार घोषित किये जाते है ।वादग्रस्त भूमि के संबध में प्रतिवादी सं. 1 हनुमंत प्रतापसिंह के नाम के इन्द्राज निरस्त किये जाते है । परचा डिक्री प्रथक से जारी हों

निर्णय सरे ईजलास सुनाया गया । पत्रावली फैसल शुमार होकर दाखील दफ्तर हो

उपखण्ड अधिकारी
सज्जनगढ़ (बांस.)